

(b) The charges for Particular Person Calls, which were revised from 1-5-69 are as follows :—

	Basic Trunk call charges	Particular Person Call charge	
		Before 1-5-69	With effect from 1-5-69
	Rs.	Rs.	Rs.
1.	0.50	0.50	0.25
2.	1.00	0.50	0.50
3.	2.00	1.00	1.00
4.	3.00	1.00	1.50
5.	5.00	2.00	2.50
6.	8.00	2.00	4.00
7.	12.00	4.00	6.00
8.	16.00	4.00	8.00

The revision in the rates was effected under the powers vested in the Central Government by section 7 of the Indian Telegraph Act.

(c) Although the power is vested with the Central Government, rules made for revision of tariff are required to be laid on the Tables of both the Houses of Parliament at the first opportunity. This particular revision of tariffs was also placed before both the Houses of Parliament.

MEMORANDUM FROM GENERAL SECRETARY, BANGLA CONGRESS REGARDING FIXING OF CEILING OF INDIVIDUAL LAND HOLDING IN WEST BENGAL

*1485. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Bangla Congress favoured a refixing of ceiling on individual and holdings in West Bengal at a level lower than the existing 25 acres per individual and in this connection a memorandum was submitted to the Union Agriculture Minister by the Party General Secretary, Shri Sushil Dhara, in the month of April, 1970; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). In a memorandum expressing views of Bangla Congress regarding land reforms in West Bengal, a suggestion has been made for reduction of the level of ceiling applicable to land owned by an individual. No further details have been given in the memorandum. The contents of the memorandum have been noted.

पूसा संस्थान, नई दिल्ली में बारानी खेती का परीक्षण

* 1486. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में बारानी खेती के बारे में कोई परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इन परीक्षणों से लाभ उठाने के बनाये गये कार्यक्रम का व्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्डे) (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के विभिन्न प्रभागों के अन्तर्गत, अनुसंधान कार्यक्रमों में बारानी खेती के विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में किए गए अधिक महत्वपूर्ण अध्ययनों का सम्बन्ध निम्न पर परीक्षण करना है :—(i) कटाव तथा मृदा संरक्षण (ii) बेहतर विन्यास तथा जड़ बेधन के लिए खेती में सुधार (iii) मृदा के मौलिक तथा जैविक स्वरूपों के सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ तथा पीद अवशिष्ट

प्रबन्ध (iv) फसल के उपयोग के लिए जल-भण्डार (v) उर्वरकों तथा पर्णाय चारे का गहरा व्यवस्थित करना (vi) राइजोबिया की उपयुक्त किस्मों विशेषतः लवण सहिष्णु किस्मों द्वारा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण और अम्लीय तथा क्षारीय मृदा परिस्थितियों के अन्तर्गत गोलीयुक्त जीवाणु संवर्धन के प्रयोग (vii) मौसम के प्रतिमानों के अनुरूप, अकेली दीर्घावधि फसलों की बजाय मिश्रित और दोहरी फसल (viii) सूखे से कम प्रभावित फोटो संवेदनाशून्य तथा शीघ्र परिपक्व होने वाली फसलें (ix) लघु उद्योग तथा निर्यात से आय के लिए सोयाबीन, उच्च प्रोटीनयुक्त मक्का, मैकरोनी गेहूँ, अल्पावधि मंडी तथा रूई, साथ ही काजू, ताड़ का तेल खजूर, जैसी बहुवर्षीय फसलों का बोया जाना (x) अधिक उत्पादनशील चारे की घासों तथा अधिक प्रोटीन वाला बाजरा (xi) कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, आस्ट्रेलिया के उष्ण भागों में वायुजलानुकूलित यूरोपीय उत्तम नस्लों का प्रयोग करके अज्ञातकुल पशुओं को जननिक रूप से क्रमोन्नत करना ।

(ग) वर्षा पोषित क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से परीक्षणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक कार्यवाही कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किया गया है । बारानी खेती सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का एक विकास कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत 12 राज्यों में 24 मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू की जायेंगी । इन प्रयत्नों को अनुत्पन्न करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1.48 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुष्क कृषि भूमि संबंधी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तैयार की है । इस योजना में शुष्क भूमि परिस्थितियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकौजी को विकसित करने की दृष्टि से देश में विभिन्न नमी की कमी वाले क्षेत्रों और भूमि वाले 24 चुने हुए केन्द्रों में बहुव्यवस्थित अनुसंधान को तीव्र करना सम्मिलित है ।

RIGHT TO STRIKE BY CENTRAL GOVERNMENT SERVANTS

*1487. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has advised the Home Ministry not to take away the right to strike of the Central Government servants; and

(b) if so, the reaction of the Home Ministry ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) and (b). There have been some consultations between the Home Ministry and the Labour Ministry on the subject and the matter is under examination.

CONSUMPTION OF SUGAR

*1488. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he has recently appealed to the people to consume as much sugar as possible because of surplus sugar stocks in the country;

(b) if so, what is the response from the people thereto;

(c) what is the surplus quantity of sugar at present in the stocks; and

(d) what efforts are being made to export the surplus stocks ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) The offtake of sugar this year is more than last year but Government would welcome further increase in consumption.

(c) The total internal consumption during the sugar year October 1969 to September 1970 may be of the order of 33 lakh tonnes as against the availability of about 55 lakh tonnes, including the carry over